<u>न्यायालयः</u>— <u>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला</u>—अशोकनगर (पीठासीन अधिकारीः—जफर इकबाल)

<u>फाइलिंग नंबर 235103000162010</u> <u>दांडिक प्रकरण क.—582 / 10</u> संस्थापित दिनांक—21.12.10

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :
आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।
अभियोजन
विरुद्ध
01—जगराम पुत्र चन्द्रभान सिंह यादव आयु 30 वर्ष निवासी
ग्राम हरीपुर, चंदेरी जिला अशोकनगर (म0प्र0)
आरोपी
राज्य द्वारा :– श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपी द्वारा :— श्री अशोक शर्मा अधिवक्ता।

-: <u>निर्णय</u> :--

(आज दिनांक 08.11.2017 को घोषित)

- 01— आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरूद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 354,456 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।
- 02— प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

- 03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपी का फरियादी से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपी को भादिव की धारा 354 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भादिव की धारा 456 के संबंध में पारित किया जा रहा है।
- 04— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी संध्यावाई ने दिनांक 27.10.10 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 27.10.10 को रात्रि 04:00 बजे फरियादी के घर ग्राम हरीपुर में आरोपी घुस आया और बुरी नियत से उसका सीना दबाने लगा जिस पर उसके ससुर जाग गये और उसके पित के लौटकर आने पर उसने रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध कमांक 397/10 के अंतर्गत भादवि की धारा 456 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 05— प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 354,456 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण नहीं किया गया।
- 06- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--
 - 1. क्या आरोपी ने दिनांक 27.10.10 रात्रि 04:00 बजे फरियादिया संध्यावाई का घर ग्राम हिरपुर में आपने फिरयादिया संध्यावाई की लज्जाभंग करने के आशय से उसके मानव निवासित आवास में प्रवेश कर प्रछन्न गृहअतिचार कारित किया ?

<u>—:: सकारण निष्कर्ष ::—</u>

07— प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशक्त एवं अंतर्वलित है। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 का निराकरण किया जा रहा है। अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 संध्यावाई, अ.सा.2 महेन्द्र की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

- 08— अभियोजन साक्षी 01 संध्याबाई ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को जानती है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनाक को उसका आरोपी से घर के बाहर वाद विवाद हो गया था जिस पर से उसने आरोपी के विरुद्ध रिपोर्ट लेखवद्ध करा दी थी। उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी घटना दिनांक को उसके घर में घुस आया था। उक्त साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया है कि आरोपी ने बुरी नियत से उसका सीना दबाया था। उक्त साक्षी ने पुलिस कथन प्र0पी03 देने से इंकार किया है। इसी प्रकार अ.सा.2 महेन्द्र ने भी घटना की कोई जानकारी न होना बताया है। उक्त साक्षी ने भी इस बात से इंकार किया है कि आरोपी द्वारा उक्त घटना दिनांक को कोई घटना कारित की थी। अभियोजन द्वारा उपरोक्त साक्षीगण के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी की साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है मामले की फरियादी तथा अन्य किसी साक्षी ने अपने कथनों मे यह नहीं बताया है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी द्वारा रात्रि में फरियादी के घर में बुंरी नियत से प्रवेश कर गृहअतिचार कारित किया गया है।
- 09— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपी को भादि की धारा 456 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 10— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
- 11- प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं है।
- 12— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा

428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)